भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1801
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

1801. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और सरकार खुले में शौच की समस्या से किस प्रकार निपट रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) माह अगस्त 2019 से, भारत सरकार कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

माह अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 02.12.2024 तक, 12.09 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 02.12.2024 तक, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.32 करोड़ (79.11%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। दिनांक 02.12.2024 तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में हैं।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम(जी)) दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना है। वर्षों से स्वच्छता जन आंदोलन बन गई। दिनांक 02.10.2014 की स्थिति के अनुसार कवरेज 38.7% था। यह दिनांक 02.10.2019 को बढ़कर 100% हो गया। एसबीएम (जी) के पहले चरण के तहत निर्मित 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) और देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद, एसबीएम (जी) चरण-II को ओडीएफ स्थिति और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) को बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान लागू किया जा रहा है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट (जीडब्ल्यूएम) एसबीएम (जी) के चरण-II के अभिन्न घटकों में से एक है। धूसर जल प्रबंधन सोख्ता गड्ढों के माध्यम से, यथा संभव, अथवा अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) आदि जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपचारित अपशिष्ट जल जल को जल निकायों के साथ मिश्रित नहीं किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) एसबीएम (जी) का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए एसबीएम-जी चरण-II के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात् घरों और सभी सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनवाड़ी कैंटर सहित) के लिए जैव-अपघटन योग्य और गैर-जैव-अवक्रमणीय प्रणाली की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। एसडब्ल्यूएम प्रणाली में एसडब्ल्यूएम का संग्रह, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण और प्रबंधन शामिल है।

दिनांक 02-12-2024 तक देश में 4,56,201 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के साथ कवर किया गया है और 510,134 गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) में शामिल किया गया है।

*****

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1801 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: दिनांक 02.12.2024 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.08.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 15.08.2019 से नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		अद्यतन स्थिति के अनुसार नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुडुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	बिहार	166.92	3.16	1.90	157.19	94.17	160.36	96.07
13	उत्तराखंड	14.51	1.30	8.98	12.76	87.93	14.06	96.91
14	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.45	0.39	95.92
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.22	88.61	3.36	92.43
16	लक्षद्वीप	0.13	-	0.00	0.12	91.17	0.12	91.17
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.73	1.20	90.69
18	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	79.83	54.38	128.26	87.38
19	तमिलनाडु	125.29	21.76	17.37	88.32	70.49	110.08	87.86
20	उत्तर प्रदेश	266.77	5.16	1.94	225.02	84.35	230.19	86.29
21	त्रिपुरा	7.50	0.25	3.26	6.08	81.07	6.33	84.34
22	जम्मू एवं कश्मीर	19.23	5.75	29.92	9.77	50.78	15.52	80.70
23	असम	72.00	1.11	1.55	57.43	79.77	58.55	81.31
24	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.25	80.66	5.30	81.36
25	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.58
26	छत्तीसगढ़	50.04	3.20	6.39	36.63	73.19	39.83	79.58
27	कर्नाटक	101.29	24.51	24.20	58.21	57.47	82.72	81.67
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.08	72.25	67.19	75.75
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.57	41.42	70.31	73.60
30	मध्य प्रदेश	111.78	13.53	12.11	60.79	54.38	74.32	66.49
31	झारखंड	62.54	3.45	5.52	30.70	49.08	34.15	54.60
32	केरल	70.83	16.64	23.50	21.63	30.55	38.28	54.04
33	राजस्थान	107.31	11.74	10.94	47.00	43.80	58.74	54.74
34	पश्चिम बंगाल	175.25	2.15	1.22	91.85	52.41	94.00	53.64
	कुल	**19,34.64**	**3,23.63**	**16.73**	**12,09.03**	**62.49**	**15,32.67**	**79.22**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****